पत्र संख्या सा०नि०क०4अ०-14189-2852-सा० पु०

सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक

श्री भी० एन० मिश्रा,
साहाय्य आयुक्त, बिहार ।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 7 जून 1989

विषय—अग्निकांड में प्रशासन द्वारा सहाय्य प्रदान करने में द्रुत कार्रवाई एवं साहाय्य की दर में एकरूपता के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि बिहार विधान सभा की आश्वासन समिति की 1 जून 1989 की बैठक में माननीय सदस्यों ने सूचना दी कि जब समिति भ्रमण के क्रम में बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, इत्यादि कई जिलों में गयी थी तो वहां समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न जिलों में अग्नि पीड़ितों को साहाय्य प्रदान करने में समय सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता । कुछ जिलों में काफी शीघ्रता से कार्रवाई होती है जबकि कुछ जिलों में अनावश्यक तकनीकी व्यवधान का कारण दिखाकर काफी अन्तराल के बाद अग्नि पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाता है । उनके अनुसार विभिन्न जिलों में प्रदत्त साहाय्य की दर भी एक समान नहीं पायी गयी ।

2. कृप्या विभागीय पत्र संख्या-सा०नि०क०-4अ०-14189-1491-सा०पु० दिनांक 11, अप्रील 1989 को निदेश करें जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी बिना कोई विलम्ब किये घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के बीच नियमानुसार एक सप्ताह का मुफ्त खाद्यान्न निर्धारित स्केल के अनुसार अविलम्ब वितरित करें । उक्त पत्र में यह भी निदेश दिया गया था कि अगर अग्निकांड में लोगों के वस्त्र एवं बर्तन आदि बर्बाद हो गए हैं तो उसके लिये भी नियम के अधीन समुचित व्यवस्था बिना किसी विलम्ब के की जाय । प्रत्येक अग्निकांड के स्थल भ्रमण के लिये जिला अथवा अनुमंडल से साहाय्य कार्य देखने वाले वरीय पदाधिकारी दो दिनों के भीतर अग्निकांड स्थल पर अवश्य भेज दें ।

निदेश दिया गया था जो अंचल अधिकारी द्वारा किये गये साहाय्य कार्य की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे एवं कार्य में किसी तरह की त्रुटि होने पर अंचल अधिकारी को समुचित मार्ग-दर्शन देंगे । प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में ही अग्निकांड से प्रभावित घरों की पूर्ण सूची अंचल अधिकारी से तैयार कराकर सक्षम पदाधिकारी के पास गृह निर्माण अनुदान की स्वीकृति हेतु भेज देंगे एवं उसकी स्वीकृति कराकर अंचल अधिकारी को वापस कर देंगे । उक्त पत्र में निदेश दिया गया था कि अग्निकांड के कारण मरे प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान यथाशीघ्र भुगतान करा दिया जाना है एवं गृह निर्माण अनुदान के भुगतान में भी दो सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए ।

3. अब पूरे राज्य में एक ही बाढ़ अकाल संहिता के अनुसार सरकार से भुगतान की कार्रवाई की जाती है तो ऐसा कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि विभिन्न जिलों में विभिन्न दर से सहाय्य दिया जाय ।

4. आश्वासन समिति ने यह भी इच्छा प्रगट की है कि जब वे कुछ दिनों में क्षेत्र भ्रमण में जायेंगे तो इस बात की समीक्षा करेंगे कि अग्नि सहाय्य के वितरणी में कितनी मुस्तैदी दिखाई गई एवं सहाय्य तथा अनुदान समय पर नियमानुसार एवं निर्धारित स्केल के अनुसार दिया गया अथवा नहीं ।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी निदेशों की प्रतिलिपि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं अंचल अधिकारी को अविलम्ब भेज दें और उन्हें निदेश दें कि वे सहाय्य वितरण में कोई देर नहीं करें एवं निर्धारित स्केल के अनुसार ही सभी तरह के साहाय्य आपदा पीड़ित उपलब्ध करायें ।

विश्वासभाजन,
भी० एन० मिश्रा,
साहाय्य आयुक्त, बिहार ।